

न्यायालय: श्री बृजनाथ, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी।

समान्य पंजीकरण संख्या:—180/2019

दिनांक	आदेश	टिप्पणी
14.03.2026	<p>उभय पक्ष की हाजरी है। उक्त वाद में स्वेच्छा से सुलह कर लिया गया है। इस वाद की सभी धाराएं सुलहनीय एवं जमानतीय है। सुलहनामा आवेदन पर उभय पक्ष स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर बनाया है। आज दिनांक—14.03.2026 के राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह एवं समझौता के आधार पर इस वाद को निष्पादित किया जाता है।</p> <p>न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी।</p>	